कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / मॉनिट. / परिवेदना निस्तारण कैम्प / 2019 / 16 दिनांकः– 10/05/19

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा विभाग

MOST URGENT

विषयः–माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त संवर्ग के कार्मिकों से संबंधित लम्बित / बकाया प्रकरणों की सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांकः– 01, दिनांकः–03.05.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त संवर्ग के कार्मिकों से संबंधित विभिन्न परिवेदनाओं / लम्बित / बकाया प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रासंमिक पत्र दिनांक : 03.05.19 के माध्यम से शिविर का आयोजन किये जाने हेतु पूर्व में आपको निर्देशित किया जा चुका है। उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित / बकाया प्रकरणों की सूची निम्नांकित प्रारूप में तैयार कर दिनांक 14.05.2019 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को हार्ड व सॉफ्ट कापी जरिए ई–मेल आईडी secedumonit2018@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रकरण से सम्बन्धित कार्मिक का नाम मय पद एवं पदस्थापन	प्रकरण का विवरण	प्रकरण कितने समय से लम्बित है, का विवरण	प्रकरण किस स्तर से लम्बित है	प्रकरण पर सम्बन्धितो द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	लम्बित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

शिविर में त्वरित निस्तारित किए जाने वाले प्रकरणो / विषयों का वर्गीकरण निम्नाकिंतानुसार किया जायें।

1. पेंशन – सेवानिवृति आदेश / अदेय प्रमाण पत्र इत्यादि।
2. ए.सी.पी. / वरिष्ठ / चयनित वेतनमान।
3. वेतन स्थिरीकरण / वेतनमान निर्धारण।
4. अवकाश स्वीकृति प्रकरण।
5. परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के उपरान्त नियमित वेतन निर्धारण / स्थाईकरण (जिन कार्मिको ने परिक्षाकाल में नियमानुसार 90 दिवस से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग नहीं किया है के प्रकरणो का निस्तारण)।
6. वरिष्ठता सूची में नामाकंन / योग्यता अभिवृद्वि / संशोधन परिवर्द्धन / विलोपन सम्बन्धी प्रकरण।
7. लम्बित विभागीय जांच प्रकरण की मॉनिटरिंग एवं निस्तारण की कार्यवाही।
8. पदोन्नति विषयक परिवेदना।
9. वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण।

उपर्युक्त कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करवाई जानी सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(शिक्षा ग्रुप–2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

desktop\workshort\letter